CENTRAL LIBRARY 16 1 1975 GOI

रजिस्ट्री सं० डी०(डी)—73

REGISTERED NO. D-(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 3, 1977 (अग्रहायण 12, 1899)

No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 3, 1977 (AGRAHAYANA 12, 1899)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . .	647
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1643
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1295
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . .	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट . .	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . .	3329
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	4089
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	549
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	5461
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	971
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	187
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . . .	2241
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	193

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..	647
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .	1643
PART I—SECTION 3—Notifications relating to non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence ..	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1295
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	3329
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) .	4089
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	549
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	5461
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta	971
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	187
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2241
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	193

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिक नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 अक्तूबर 1977

संकल्प

सं० 10-2/76-सी० ए० 2—भारत सरकार ने अपने दिनांक 9 अक्तूबर 1975 के संकल्प संख्या 10-1/75-सी० ए० 11 के अनुसार गठित की गई भारतीय पटसन विकास परिषद को 1 अक्तूबर 1977 से पुनर्गठित करने का निर्णय किया है। पुनर्गठित परिषद की संरचना निम्न प्रकार होगी :—

1. अध्यक्ष— भारत सरकार द्वारा मनोनीत किया जाने वाला गैर सरकारी व्यक्ति

2. उपाध्यक्ष— भारत सरकार के कृषि और सिंचाई मन्त्रालय के कृषि विभाग का अपर सचिव।

3. सदस्य—

(क) संसद सदस्य—संसद के 3 सदस्य जिन्हें संसदीय कार्य विभाग द्वारा मनोनीत किया जाएगा।

(ख) राज्य सरकारों के प्रतिनिधि—निम्नलिखित राज्य सरकारों के कृषि विभागों का एक-एक प्रतिनिधि जिसे संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामजद किया जाना है।

(1) आंध्र प्रदेश
(2) असम
(3) बिहार
(4) उड़ीसा
(5) त्रिपुरा
(6) उत्तर प्रदेश
(7) पश्चिम बंगाल

(ग) केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि

(1) योजना आयोग का एक प्रतिनिधि।
(2) भारत सरकार का कृषि आयुक्त या उनका मनोनीत व्यक्ति।
(3) पटसन आयुक्त (वाणिज्य मन्त्रालय)
(4) निदेशक, पटसन कृषि अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर, प० बंगाल।
(5) निदेशक, पटसन औद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशाला, टी-12-प्रिंसेप पार्क, कलकत्ता।
(6) महा निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या उनका प्रतिनिधि।
(7) प्रबंध निदेशक, भारतीय पटसन निगम।

(घ) उत्पादकों के प्रतिनिधि

(क) निम्नलिखित पटसन उत्पादक राज्यों में से संबंधित राज्य सरकार द्वारा नामजद किए जाने वाले उन्हीं में से एक-एक प्रतिनिधि।

(1) आंध्र प्रदेश
(2) असम
(3) बिहार
(4) उड़ीसा
(5) उत्तर प्रदेश
(6) त्रिपुरा
(7) पश्चिमी बंगाल

(ख) पटसन उत्पादकों का एक प्रतिनिधि जिसे भारत सरकार द्वारा मनोनीत किया जाना है

(ग) उद्योगों के प्रतिनिधि

इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि।

(घ) व्यापारियों के प्रतिनिधि

जूट बेलर्स एसोसिएशन, कलकत्ता का एक प्रतिनिधि।

(ङ) मजदूरों के प्रतिनिधि

जिन्हें पटसन उत्पादक राज्यों के परामर्श से मनोनीत किया जाना है।

(अ) फार्मों में कार्य करने वाले एक
(ब) फैक्टरियों में कार्य करने वाले एक

(छ) अन्य व्यक्ति जिन्हें समय समय पर भारत सरकार द्वारा नामजद किया जाए।

4. सदस्य-सचिव— निदेशक,
पटसन विकास निदेशालय
कलकत्ता।

5. प्रेक्षक— (ये व्यक्ति परिषद के सदस्य नहीं होंगे परन्तु उन्हें परिषद के विचार विमर्श में सहायता के लिए नियमित रूप से आमन्त्रित किया जाएगा)

1. अध्यक्ष, राज्य व्यापार निगम या उनका प्रतिनिधि
2. वित्त सहायक, कृषि विभाग, कृषि और सिंचाई मन्त्रालय।
3. अर्थ तथा सांख्यिकी सलाहकार, कृषि और सिंचाई मन्त्रालय।
4. कृषि विपणन सलाहकार, कृषि और सिंचाई मन्त्रालय या उनका प्रतिनिधि।
5. राष्ट्रीय कृषि सहकारी, विपणन संघ का एक प्रतिनिधि।
6. प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम
7. वनस्पति संरक्षण सलाहकार, कृषि विभाग कृषि और सिंचाई मन्त्रालय
8. संयुक्त आयुक्त, कृषि विभाग, कृषि और सिंचाई मन्त्रालय।
9. कृषि मूल्य आयोग का एक प्रतिनिधि।

(2) परिषद सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करेगी तथा उसके कार्य निम्नलिखित होंगे।

1. पटसन मेस्ता और अन्य रेशे वाली फसलों (कपास को छोड़कर) के बारे में केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम पर विचार करना। समय समय पर उनकी प्रगति का पुनरीक्षण करना और पटसन तथा मेस्ता का उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय सुझाना,

2. पटसन के उत्पादन और विपणन तथा पटसन-उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य दिलाने से सम्बद्ध समस्याओं पर विचार करना तथा इन मामलों में सरकार को सलाह देना,

3. देशी तथा विदेश मंडियों में पटसन की विभिन्न किस्मों की मांग के बारे में विचार करना और तदनुसार पटसन-उत्पादन के कार्यक्रमों में आवश्यक समयोजन हेतु सुझाव देना,

4. पटसन और मेस्ता के बारे में छोटे तथा सीमान्त कृषकों की विशेष आवश्यकताओं पर विचार करना और उनकी पूर्ति के लिए उचित उपायों का सुझाव देना,

5. पटसन और मेस्ता से सम्बंध अनुसन्धान एवं विकास कार्यक्रमों के बीच समन्वय करना और पटसन तथा मेस्ता की क्वालिटी और उत्पादकता में सुधार लाने की आवश्यकता के बारे में सलाह देना, और,

6. सरकार को ऐसे अन्य सम्बद्ध विषयों पर सलाह देना जो समय समय पर आवश्यक समझे जाएं।

(3) परिषद को विशेष मामलों पर विचार करने के लिए स्थायी समितियां, तकनीकी समितियां और तदर्थ समितियां नियुक्त करने तथा आवश्यकता पड़ने पर विशेष उद्देश्य के लिए कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य विशेष रुचि रखने वालों के प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में सहयोजित करने की शक्तियां होंगी।

(4) समय समय पर परिषद् पटसन उगाये जाने वाले क्षेत्रों तथा पटसन के व्यापार एवं उद्योग से सम्बद्ध महत्वपूर्ण केन्द्रों में बैठक करेगी तथा भारत सरकार को सुझाव देगी।

(5) परिषद् उस समय तक कार्य करती रहेगी जब तक कि भारत सरकार के संकल्प द्वारा उसे समाप्त न कर दिया जाए। परिषद् के अध्यक्ष तथा अन्य गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल परिषद् के लिए मनोनीत होने की तारीख से 3 वर्ष तक होगा बशर्ते कि भारत सरकार अपने विशेष आदेश द्वारा उसे घटा या बढ़ा न दे।

(6) संसद सदस्यों में से नामजद होने वाले सदस्यों की सदस्यता उनके संसद सदस्य न रहने पर समाप्त हो जाएगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति सब राज्य सरकारों, केन्द्र शासित राज्यों, भारत सरकार के सभी मन्त्रालयों, योजना आयोग मन्त्रिमण्डल सचिवालय, प्रधान मन्त्री सचिवालय, लोक सभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय को भेज दी जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि सार्वजनिक जानकारी हेतु इस संकल्प को भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित कर दिया जाए।

ए० दास, अपर सचिव

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 नवम्बर 1977

संकल्प

विषय :—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्।

सं० एफ० 18-5/77-स्कूल-5—संकल्प संख्या एफ० 7-6/71—स्कूल—2 दिनांक 4-10-1975 द्वारा आंशिक रूप से संशोधित इस मन्त्रालय के संकल्प संख्या एफ० 7-6/71 स्कूल-2 दिनांक 21 मई, 1973 के पराग्राफ 5 (1) में "केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री-अध्यक्ष" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द लिख दिए जाएं :—

(1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के विषय से सम्बन्धित "शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में मन्त्री या राज्य मन्त्री या उप मन्त्री।"

श्रीमती जे० अजनी दयानन्द, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

New Delhi, the 19th October 1977

RESOLUTION

No 19-2/76-C.A.II.—The Government of India have decided to reconstitute, with effect from 1st October, 1977, the Indian Jute Development Council set up vide Government of India's Resolution No. 34-1/73-C A II, dated 9th October, 1973. The reconstituted Council will be composed as follows :—

I CHAIRMAN

A Non-official to be nominated by the Government of India.

II. VICE-CHAIRMAN

Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Agriculture)

III MEMBERS

(A) *Members of Parliament* :

Three Members of Parliament to be nominated by the Department of Parliamentary Affairs.

(B) *Representatives of State Governments* :

One representative from each of the following State Governments in the Department of Agriculture to be nominated by the respective State Governments —

(i) Andhra Pradesh
(ii) Assam
(iii) Bihar
(iv) Orissa
(v) Tripura
(vi) Uttar Pradesh
(vii) West Bengal

(C) *Representatives of Central Government* :

(1) One representative of the Planning Commission

(2) Agriculture Commissioner to the Government of India or his nominee

(3) Jute Commissioner, Ministry of Commerce

(4) Director, Jute Agricultural Research Institute, Barrackpore, West Bengal

(5) Director, Jute Technological Research Laboratory, T-12-Regent Park, Calcutta

(6) Director General, Indian Council of Agricultural Research or his nominee

(7) Managing Director, Jute Corporation of India

(D) *Representatives of Growers* :

(a) One representative of the Jute Growers to be nominated by the respective State Government from each of the following Jute growing States :—

(i) Andhra Pradesh

(ii) Assam

(iii) Bihar

(iv) Orissa

(v) Uttar Pradesh

(vi) Tripura

(vii) West Bengal

(b) One representative of Jute Growers to be nominated by the Government of India.

(E) *Representative of Industry* :

One representative of the Indian Jute Mills Association

(F) *Representative of Trade*

One representative of the Jute Balers' Association, Calcutta

(G) *Representatives of Workers* :

To be nominated in consultation with Jute growing States :—

(a) engaged in farms—One

(b) engaged in factories—One

(H) Such other persons as may, from time to time, be nominated by the Government of India.

(IV) MEMBER-SECRETARY

The Director,
Directorate of Jute Development,
Calcutta.

(V) OBSERVERS

(Who would not be members of the Council but would be invariably invited to assist the Council in its deliberations).

1. Chairman State Trading Corporation or his representative

2 Financial Adviser, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Irrigation.

3 Economics and Statistical Adviser, Ministry of Agriculture and Irrigation

4. Agricultural Marketing Adviser, Ministry of Agriculture & Irrigation or his representative.

5. A representative of the National Agricultural Co-operative Marketing Federation.

6 The Managing Director, National Seed Corporation

7. Plant Protection Adviser, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture & Irrigation

8 Joint Commissioner, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture & Irrigation

9 A representative of Agricultural Prices Commission

2. The Councilwill be an advisory body and will have the following functions :—

1 To consider development programme in the Central and State Sectors in respect of June, Mesta and other fibre crops (excluding Cotton) review progress thereof from time to time and recommend measures for increasing the production of Jute & Mesta,

2 To consider problems relating to the production and marketing of Jute and remunerative prices to Jute growers and advise Government in these matters;

3. To consider demands for different varieties of Jute in the domestic as well as export markets and advise Government about necessary adjustments in Jute production programmes accordingly;

4. To consider the special needs of small and marginal farmers in respect of Jute and mesta production and suggest suitable measures for meeting the same,

5. To facilitate coordination between research and development programmes relating to Jute and Mesta and to advise about the needs for improvement in the quality and productivity of Jute and Mesta and,

6 To advise Government on such other connected matters as may be considered necessary from time to time.

3 The Council will have the powers to set-up Standing Commitees, Technical Committees and Ad-hoc Committees to look into specific issues an to coopt members such as representatives of Agricultural Universities and other special interests as and when necessary, for specific purposes.

4. The Council will meet periodically in areas in which Jute is grown and at important centres of trade and industry connected with Jute and will make recommendation to the Government of India.

5 The Council will continue to function until it is abolished by a Resolution of the Government. The term of the Chairman and other non-official members of the Council would be three years from the date they are nominated on the Council unless this period is curtailed or extended by a specific order of the Government of India.

6 Those members of the Council who are nominated from Members of Parliament will cease to be the members of the Council as soon as they cease to be Members of Parliament

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

2 Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information

A. DAS, Additional Secy

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

RESOLUTION

New Delhi, the 11th November 1977

Subject : *National Council for Teacher Education*

No F 18-5/77-Sch 5.—In the Ministry's Resolution No 7-6/71-Schols-2 dated 21 May, 1973 as partially modified by Resolution No. F.7-6/71-Sch.2 dated 4-10-1975 the words "Union Minister for Education-President" occurring in para 5(1) may be substituted by the following —

(i) "Minister or Minister of State or Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare assigned the subject of National Council for Teacher Education".

Mrs J ANJANI DAYANAND, Jt. Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977